न्यायालय : अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर, जिला पाली।

पीठासीन अधिकारी : मोक्षदा नांदड, आर.जे.एस.

फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या(सी.आई.एस.नं.) : 603/2019

अभियोगी :

राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी, सुमेरपुर।

बनाम

अभियुक्त :

प्रेमसिंह पुत्र रूपसिंह, निवासी रसियावास पुलिस थाना आहोर, जिला जलोर।

अपराध अन्तर्गत धारा 279 व 304ए भारतीय दण्ड संहिता।

उपस्थित :

(1) सहायक अभियोजन अधिकारी — वास्ते राज्य।

(2) श्री पूरण सिंह देवड़ा, अधिवक्ता — वास्ते अभियुक्त।

निर्णय **दिनांक : 12.06.2026**

01. यह प्रकरण श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महोदय पाली के कार्यालय आदेश क्रमांक 37 दिनांक 12.07.2021 की पालना में श्रीमान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महोदय सुमेरपुर के न्यायालय से अंतरित होकर इस न्यायालय को सुनवाई हेतु दिनांक 20.09.2021 को प्राप्त हुआ।

02. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी पुनाराम पुत्र प्रभुजी ने दिनांक 28.01.2019 को पुलिस थाना सुमेरपुर में उपस्थित होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि परिवादी पुनाराम व दिनेश कुमार पुत्र केवारामजी, निवासी बलाना, उक्त दोनों उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर तथा उसके काका का लड़का पुनाराम पुत्र खीमाराम, निवासी बांकली अपनी मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स पर साथ–साथ बांकली गांव से सुमेरपुर के लिए सुबह रवाना हुए व परिवादी के मोटरसाइकिल के आगे–आगे उसके काका का लड़का पुनाराम पुत्र खीमाजी, अपनी मोटरसाइकिल धीमी गति से सही साइड में चला रहा था तथा माताजी मंदिर की ढाल बांकली की तरफ करीब 8 बजे पहुंचे, तब सामने से सुमेरपुर की तरफ से मिनी बस नंबर आरजे 22 पीए 1505 के चालक प्रेमसिंह पुत्र रूपसिंह, निवासी रसियावास, मिनी बस को तेजगति व

लापरवाहीपूर्वक चलाता हुआ रोंग साइड में आकर मुझ प्रार्थी के काका के लड़के पुनाराम पुत्र खीमारामजी के मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स के टक्कर मारी, जिससे परिवादी के काका के लड़के पुनाराम के सिर पर पहना हेलमेट टूट गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी तथा पैर भी फ्रेक्चर हुआ तथा हॉस्पिटल ले जाते वक्त हॉस्पिटल पहुंचने से पहले पुनाराम की मृत्यु हो गई तथा बस चालक का नाम लोगों को पूछने पर मालूम हुआ.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सुमेरपुर में प्र.सू.रि.सं. 63/2019 दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त प्रेमसिंह के विरूद्ध धारा 279 व 304ए भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. अभियुक्त प्रेमसिंह के विरूद्ध धारा 279 व 304ए भारतीय दंड संहिता का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त प्रेमसिंह को अपराध अतंर्गत धारा 279 व 304ए भारतीय दंड संहिता का आरोप सारांश मौखिक सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों से इंकार कर अंवीक्षा चाही।

04. साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाहान् पी. डब्ल्यू. 01 समनाराम, पी.डब्ल्यू. 02 पुनाराम, पी.डब्ल्यू. 03 रताराम, पी.डब्ल्यू. 04 दिनेश, पी.डब्ल्यू. 05 डायाराम, पी.डब्ल्यू. 06 मनोहरसिंह, पी.डब्ल्यू. 07 डॉ. मोहित कक्कड़, पी.डब्ल्यू 08 तेजाराम, पी.डब्ल्यू 09 धनाराम, पी.डब्ल्यू 10 सवाराम, पी. डब्ल्यू 11 गंगासिंह को परीक्षित करवाया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–13 दस्तावेज़ात् पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

05. अभियुक्त प्रेमसिंह के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्व किए गए, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाए जाने का कथन किया गया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा।

06. बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्कपूर्ण निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279 व 304ए भारतीय दंड संहिता को प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा है, अतः अभियुक्त को धारा 279 व 304ए भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध कर दण्डित किया जावे। उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त को उक्त प्रकरण में पूर्ण रूप से झूठा फंसाया गया है। वक्त घटना अभियुक्त दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को नहीं चला रहा था। हस्तगत प्रकरण में परीक्षित हुए

गवाहान घटना की ताईद नहीं करते है तथा पक्षद्रोही रहे हैं। अंत में अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279 व 304ए भारतीय दंड संहिता के तहत दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

07. बहस अन्तिम सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत एवं परिशीलन किया गया। प्रकरण के न्यायपूर्ण विनिश्चय हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

i) क्या अभियुक्त ने दिनांक 28.01.2019 को समय सुबह करीब 8.00 बजे सरहद मौजा सुमेरपुर में बांकली से सुमेरपुर जाने वाले लोकमार्ग पर माताजी मंदिर की ढाल बांकली में अपने वाहन मिनी बस जिसके नंबर आरजे 22 पी.ए. 1505 को तेजगति, उतावेलपन या उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन संकटापित्त किया एवं अपने वाहन से सही साइड में चलती हुई परिवादी के काका के लड़के पुनाराम की मोटरसाइकिल एच एफ डीलक्स नंबर आरजे 22 एसजेड 6543 के टक्कर मारी, जिसके परिणामस्वरूप उक्त मोटरसाइकिल पर सवार पुनाराम के गंभीर चोटें आई तथा उसकी मृत्यु कारित हुई?

ii) यदि हाँ, तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या होगा?

08. समग्र रूप से बहस अन्तिम सुनने के पश्चात् अभियुक्त प्रेमसिंह पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य तथा परीक्षित साक्षियों की साक्ष्य एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त प्रेमसिंह के विरूद्ध धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। आरोप अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के संदर्भ में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सबसे पहले अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि दुघ र्टिना के समय अभियुक्त वाहन का चालक था, तत्पश्चात् यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या वह वाहन को लापरवाही व उतावलेपन से चला रहा था, जिसके संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य सामग्री का समग्र अवलोकन, विवेचन एवं विश्लेषण किया जाए तो यह प्रकट होता है कि अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष कुल 11 गवाहन परीक्षित हुए हैं जिसमें से प्रकरण के परिवादी पुनाराम को बतौर पी.ड. 02 न्यायालय के समक्ष परीक्षित किया गया। गवाह ने कथन किए कि साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के करीब 03 वर्ष पूर्व उसके काका के लड़के पुनाराम की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, दुर्घटना किसकी लापरवाही से तथा कौनसे

वाहन से हुई, उसे नहीं पता। उक्त गवाह को प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित किया गया। यद्यपि दौराने अभियोजन जिरह गवाह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया, परंतु गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 05 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं दिए जाने के कथन किए। गवाह ने आगे यह कथन किए कि उक्त दुर्घटना वाहन आरजे 22 पीए 1505 के चालक प्रेमसिंह की लापरवाही से नहीं हुई थी। गवाह ने दौराने अधिवक्ता अभियुक्त जिरह यह कथन किए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्या लिखा, उसे नहीं पता। प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस के कहने से लिखी थी। उक्त गवाह की साक्ष्य के समग्र अवलोकन से यह तथ्य दर्शित होते हैं कि उक्त गवाह को दुर्घटना में किसकी लापरवाही थी, इस संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं है। उक्त गवाह ने स्वयं के द्वारा दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों से भी अनभिज्ञता जाहिर की है तथा स्पष्ट कथन किए हैं कि अभियुक्त प्रेमसिंह की लापरवाही से दुर्घटना नहीं हुई थी। उक्त गवाह की साक्ष्य अभियुक्त की बतौर चालक पहचान स्थापित के संबंध में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करती है।

09. प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड. 04 दिनेश एवं पी.ड. 05 डायाराम ने अपनी साक्ष्य में पुनाराम की दुर्घटना में मृत्यु होने के कथन किए, परंतु उक्त दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई, उन्हें पता नहीं होने के कथन किए। उक्त दोनों गवाहान को प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित किया गया। उक्त दोनों ही गवाहान ने अपने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी 06 एवं प्रदर्श पी 07 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं दिए जाने के कथन किए। उक्त दोनों ही गवाहान ने प्रेमसिंह की दुर्घटना में लापरवाही नहीं होने के तथ्य अभिकथित किए। उक्त दोनों ही गवाहान की साक्ष्य से प्रकट है कि दोनों ही गवाहान को दुर्घटना कारित करने में किसकी संलिप्ता थी, इस संबंध में जानकारी नहीं है। उक्त दोनों ही गवाहान की साक्ष्य से भी अभियुक्त की बतौर चालक पहचान स्थापित नहीं होती है।

10. प्रकरण के अन्य गवाह गंगासिंह पी.ड. 11 ने अपनी साक्ष्य में कथन किए कि साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के करीब 06 वर्ष पूर्व मिनी बस आरजे 22 पीए 1505 की पावर ऑफ अटार्नी उसके नाम थी। गवाह ने आगे कथन किए कि वाहन का छह साल पहले एक्सीडेंट हुआ हो तो उसे नहीं पता। पुलिस ने उसे कोई नोटिस नहीं दिया। उक्त गवाह को भी प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने अभियोजन जिरह गवाह ने प्रदर्श पी 13 नोटिस पर मात्र अपने हस्ताक्षर होना

स्वीकार किया है तथा सी से डी जवाब उसके द्वारा नहीं दिए जाने के कथन किए। गवाह ने इस तथ्य को भी गलत बताया कि उसने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक का नाम प्रेमसिंह होना पुलिस को बताया। प्रेमसिंह का नाम उसे पुलिस ने बताया था। उक्त गवाह जो कि प्रदर्श पी 13 धारा 133 एम.वी. एक्ट के नोटिस का गवाह है, परंतु उक्त गवाह उक्त नोटिस पर अपना जवाब नहीं होना अभिकथित करता है तथा मात्र उक्त जवाब पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है। ऐसे में उक्त गवाह की साक्ष्य से प्रदर्श पी 13 की पुष्टि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह की साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य ही दर्शित नहीं है कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन आरजे 22 पीए 1505 से कोई दुर्घटना भी हुई थी अथवा नहीं। चूंकि उक्त गवाह को दुर्घटना संबंधी कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में उक्त गवाह की साक्ष्य से अभियुक्त के बतौर चालक प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पर होने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता। उक्त गवाह की साक्ष्य भी अभियोजन कहानी का किसी प्रकार से समर्थन नहीं करती है। प्रकरण में चूंकि महत्वपूर्ण गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्त की बतौर चालक पहचान स्थापित नहीं हुई है। ऐसे में प्रकरण में परीक्षित गवाह पी.ड. 01 समनाराम, पी.ड. 03 रताराम, पी.ड. 06 मनोहर सिंह, पी.ड. 07 डॉ. मोहित कक्कड़, पी.ड. 08 तेजाराम, पी.ड. 09 धनाराम व पी.ड. 10 सवाराम की साक्ष्य प्रकरण में मात्र औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य रह जाती है, जो भी अभियुक्त की बतौर चालक पहचान स्थापित नहीं करती है।

11. प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी को परीक्षित नहीं किया गया है, परंतु अनुसंधान अधिकारी के परीक्षित नहीं होने से भी प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि अनुसंधान अधिकारी ने जिन गवाहान की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित माना था, उक्त समस्त गवाहान की साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में विफल रही है।

12. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य सामग्री के विवेचन व विश्लेषण करने से एवं उपर्युक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियोजन कहानी को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में जहां अभियुक्त को बतौर प्रश्नगत वाहन चालक बरवक्त दुर्घटना पहचान स्थापित करने में अभियोजन असफल रहा है तो प्रश्नगत वाहन का दुर्घटना के समय लापरवाही,

तेजगति एवं उतावलेपन से चलाए जाने के तथ्य को देखे जाने पर भी अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

13. दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपनी कहानी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करनी होती है, यदि अभियोजन कहानी में संदेह उत्पन्न होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 28.01.2019 को समय सुबह करीब 8.00 बजे सरहद मौजा सुमेरपुर में बांकली से सुमेरपुर जाने वाले लोकमार्ग पर माताजी मंदिर की ढाल बांकली में अपने वाहन मिनी बस जिसके नंबर आरजे 22 पी.ए. 1505 को तेजगति, उतावेलपन या उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन संकटापित्त किया एवं अपने वाहन से सही साइड में चलती हुई परिवादी के काका के लड़के पुनाराम की मोटरसाइकिल एच एफ डीलक्स नंबर आरजे 22 एसजेड 6543 के टक्कर मारी, जिसके परिणामस्वरूप उक्त मोटरसाइकिल पर सवार पुनाराम के गंभीर चोटें आई तथा उसकी मृत्यु कारित हुई।

अतः हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त प्रेमसिंह के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं होने से अभियुक्त प्रेमसिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

14. परिणामतः अभियुक्त प्रेमसिंह पुत्र रूपसिंह, निवासी रसियावास पुलिस थाना आहोर, जिला जालोर को धारा 279 व 304ए भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपित अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

15. अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह दं.प्र.सं. की धारा 437ए के तहत 10,000/– रूपये राशि की जमानत व इसी राशि का मुचलका माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु पेश करे। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

16. अभियुक्त द्वारा धारा 437ए दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत जमानत–मुचलके निर्णय की दिनांक से 06 माह के लिए प्रभावी रहेंगे।

17. प्रकरण में जब्त वाहन जमानतनामा/सुपुर्दगीनामा पर दिये गये है, जो बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझे जाए।

(मोक्षदा नांदड़)
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सुमेरपुर, जिला पाली।

18. निर्णय आज दिनांक 12.06.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(मोक्षदा नांदड़)
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सुमेरपुर, जिला पाली।